प्रेस नोट 05.04.2021

110 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व बनाने के अन्य उपकरण तथा एक अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक इनामिया (25 हजार) हिस्ट्रीशीटर अपराधी गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 04.04.2021 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस को उस वक्त अहम सफलता हाथ लगी जब देखभाल खेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर हलीमाबाद से 110 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, एक किलों फिटकरी, एक किलों नौसादर, व दो किलो यूरिया एक अवैध तमंचा व कारतूस (315 बोर) के साथ एक इनामिया (**25 हजार**) हिस्ट्रीशीटर (**100 ए थाना सरायलखंसी जनपद मऊ**) अपराधी धमेन्द्र मौर्य पुत्र स्व0 शिवकुमार मौर्य निवासी कहिनौर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया जबकि अन्य अपराधी महेन्द्र सोनकर पुत्र बरसाती निवासी हलीमाबाद थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ मौके से भागने में सफल रहा।

थाना मुहम्मदाबाद पुलिस को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना मिली की ग्राम हलीमाबाद में ताड़ खजूर व अन्य पेड़ के बाग में महेन्द्र सोनकर के अर्ध निर्मित मकान में अपमिश्रित कच्ची देशी शराब लाकर बेची जा रही है, यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा उक्त स्थान पर एक बारगी दबिश दी गयी जहा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जबकि दुसरा भागनें में सफल रहा। गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा पूछताछ में अपना नाम धमेन्द्र मौर्य पुत्र स्व0 शिवकुमार मौर्य निवासी कहिनौर थाना सरायलखंसी बताया गया जामातलाशी में उक्त गिरफ्तार व्यक्ति के पास से एक अवैध तमंचा व एक जिदां कारतूस 315 बोर बरामद किया गया तथा उक्त स्थान से 110 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, एक किलों फिटकरी, एक किलों नौसादर, व दो किलो यूरिया भी बरामद किया गया। उक्त व्यक्ति के पास से मिली मोटरसाइकिल यूपी 54 एए 0770 के कागाजात के बारे में पूछा गया तो कागजात न दिखा पाने के कारण उक्त मोटरसाइकिल को सीज किया गया। इस सम्बन्ध में अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 133/21 धारा 272,273 भादवि0 व 60 आबकारी अधिनियम तथा मु0अ0सं0 134/21 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जिसके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों सहित अन्य जनपदों में कुल 19 अभियोग पंजीकृत है तथा यह जनपद गाजीपुर थाना नोनहरा के मु0अ0सं0 52/21 धारा 272,419,420,467,468,471 भादवि0 व 60(2) आबकारी अधिनियम में (25 हजार) का इनामिया भी घोषित है।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. धमेन्द्र मौर्य पुत्र स्व0 शिवकुमार मौर्य निवासी कहिनौर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. 110 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, एक किलो फिटकरी, एक किलो नौसादर, दो किलो यूरिया।
2. एक अवैध तमंचा व एक कारतूस (315 बोर)।
3. एक मोटरसाइकिल सूपर स्प्लेण्डर यूपी 54 एए 0770।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

निरीक्षक श्री नीरज पाठक **प्रभारी निरीक्षक थाना मुहम्मदाबाद**, उ0नि0 ओम सिंह, उ0नि0 जगदीश सिंह, आ0 रोहित, का0 संदीप, का0 राजेश विश्वकर्मा, का0 हरेन्द्र यादव,, का0 इन्द्रेश यादव **थाना मुहम्मदाबाद।**

गोवध निवारण के कम में एक ट्रक में कूरतापूर्वक लदे 31 राशि गौवंश बरामद, चार तश्कर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के कम में आज दिनांक 05.04.2021 समय लगभग 03 बजे भोर को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस को उस वक्त अहम सफलता हाथ लगी जब देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कैलेण्डर तिराहे से एक ट्रक वाहन (यूपी 54 एटी 1048) से कूरतापूर्वक लदे 31 राशि गौवंश को बरामद कर 04 तश्करों को गिरफ्तार किया गया।

थाना मुहम्मदाबाद पुलिस को जरिये मुखबिर सूचना मिली की एक ट्रक वाहन में कुछ व्यक्ति गोवश पशुओं को वध हेतु आजमगढ़ की तरफ से बिहार जाने वाले है इस सूचना पर विश्वास कर थाना मुहम्दाबाद पुलिस द्वारा रोडवेज तिराहे से एक संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देख ट्रक चालक भागने की कोशिश करने लगा परन्तु पुलिस द्वारा ट्रक को पकड़ लिया गया। जब ड्रायबर से ट्रक के पिछे का डाला खोलकर दिखाने के लिए कहा तो उसके कुछ गाय व बछडे एक दूसरे के उपर खडे व पडे मिले जिनमें से कुछ के मुह में झाग आ रहा था साथ ही साथ दो व्यक्ति उसी डाले में खडे मिले तथा एक व्यक्ति ट्रक के केबिन में मिला। जब चारों से अपना नाम पता पूछा गया तो उनके द्वारा अपना नाम क्रमशः दुर्गा कुमार पुत्र रमेश प्रसाद गुप्ता निवासी कोटवा नारायणपुर थाना नरही जनपद बलिया, मिथिलेश यादव पुत्र श्याम नारायण निवासी बेरजी थाना बरेसर जनपद गाजीपुर, सन्त कुमार यादव पुत्र भगौती यादव निवासी चौसा जनपद बक्सर बिहार तथा प्रदीप सिंह यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी केशवपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर बताया गया। जब उनसे ट्रक में लदे गायो व बछडों के बारे में पूछा गया तो बताये की हमलोग गौवशीय पशुओं को खरीदकर बिहार वध हेतु बेचने के लिए ले जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 135/21 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम व 11 पशुक्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया तथा बरामद वाहन को अन्तर्गत एमवी एक्ट जब्त किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. दुर्गा कुमार पुत्र रमेश प्रसाद गुप्ता निवासी कोटवा नारायणपुर थाना नरही जनपद बलिया।
2. मिथिलेश यादव पुत्र श्याम नारायण निवासी बेरजी थाना बरेसर जनपद गाजीपुर,
3. सन्त कुमार यादव पुत्र भगौती यादव निवासी चौसा जनपद बक्सर बिहार।
4. प्रदीप सिंह यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी केशवपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर

बरामदगी–

1. 21 राशि गाय, 07 राशि बछड़ा, 03 राशि बछिया।
2. एक ट्रक वाहन यूपी 54 एटी 1048।

जुआ खेलते 06 गिरफ्तार, कब्जे फण के 1300 रूपये व ताश के 52 पत्ते बरामद–

दिनांक 04.05.2021 को थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान चोरपाखुर्द के पास से प्रेमचन्द्र भारती, गीता राम, हरेन्द्र कुमार, दिनेश कुमार, हरिप्रकाश, जितेन्द्र निवासीगण चोरपाखुर्द थाना सरायलखंसी के कब्जे से मालफण के 1300 रूपये व ताश के 52 पत्ते बरामद कर गिरफ्तार किया

गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 145/21 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा नाजायज चाकू के साथ 05 गिरफ्तार–

दिनांक 04/05.04.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा पनईल पुलिया नहर के पास से अनिल पुत्र राजेश निवासी झोंटपुर थाना दोहरीघाट के कब्जे से एक अवैध चाकू, बुढावार क्रासिंग के पास से दीपक कुमार पुत्र दुधनाथ निवासी झोंटपुर थाना दोहरीघाट के कब्जे से एक अवैध चाकू, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा खोहिया से सोनू राजभर पुत्र छोटेलाल राजभर निवासी खोहिया रतनपुरा थाना हलधरपुर के कब्जे से एक अवैध चाकू, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा जमालपुर रेलवे क्रासिंग के पास से साजिद खान पुत्र एहसान, जैकी पुत्र अफजल निवासीगण बैसवाड़ा थाना मुहम्मदाबाद दोनों के कब्जे से एक–एक अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर सम्बन्धित अभियोगों में धारा 4/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तथा प्रदेश में कतिपय जनपदों में जहरीली शराब से घटित घटनाओं के दृष्टिगत रखते हुए आज दिनांक 05.04.2021 को पुलिस लाइन सभागार मऊ में जिलाधिकारी मऊ श्री अमित सिंह बंसल तथा पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले की अध्यक्षता में जनपद के समस्त देशी/अग्रेजी/बियर के अनुज्ञापियों की मीटिंग ओयोजित की गयी जिसमें निम्नलिखित आदेश/निर्देश निर्गत किये गये।

1. वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया प्रचलित है जिसमें तथाकथित सम्भावित प्रत्याशियों द्वारा उपहार स्वरूप अधिक मात्रा में शराब वितरित किये जा रहे है अतः समस्त अनुज्ञापी व सेल्समैन इस बात का विशेष ध्यान रखे की एक व्यक्ति को निर्धारित मात्रा से अधिक शराब न बेची जाये।
2. रेगुलर ग्राहक यदि दुकान पर नही आ रहे है तो उसकी सूचना थाने पर अवश्य दी जाये।
3. यदि बाहर से शराब आ रही हो तो इसकी सूचना स्थानीय थाने को अवश्य दे।
4. नियमानुशार विक्रय के समय का विशेष ध्यान रखा जाये।
5. कतिपय अनुज्ञापी बंदी के दिनों में पिछे से या दरवाजे के निचे से बिक्रय करते है ऐसी बाते प्रकाश में आने पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

इस दौरान जिला आबकारी अधिकारी सहित जनपद के समस्त आबकारी निरीक्षक मीटिंग में मौजूद रहें।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में पुलिस कार्यालय स्थित मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी पर आज दिनांक 05.04.2021 को थाना घोसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1547/16 धारा 363,366,376,419,420 भादवि0 व 3/4 पोक्सों एक्ट में अभियुक्त बुद्धु पुत्र रमापति निवासी जाडे का पुरवा औंगफतेहपुर थाना घोसी जनपद मऊ को माननीय न्यायालय स्पेशल पाक्सो ट्रायल–1 द्वारा 12 वर्ष की सश्रम कारावास तथा 28 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।